

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31/4/25

वकील वादी उपर प्रतिवादीगण की तहवी हेतु (नामा
तहवा) पत्र ड्रप जा जारी हो। मिलाव दिगोड
31/4/25 पत्र हो।

29.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। पक्षकारान् तथा
पक्षकारान के अधिवक्तागण को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई
पक्षकारान/अधिवक्ता हस्तगत प्रकरण में हाजिर नहीं आये।
अधिवक्ता व पक्षकारान बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं उक्त
प्रकरण में उपस्थिति के लिए आवाजे लगाने पर भी गैर हाजिर
रहे है। अतः प्रकरण हाजा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां